संख्या-81/2022/1381/छप्पन-2022-56-1099-184-2019

प्रेषक,

कुँवर भगवती शरण सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2022

विषयः- जनपद चित्रकूट स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-134/ना0उ0नि0-2022/ए0एफ0-105बी0 दिनांक 26 अगस्त, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चित्रकूट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु रू0 19,98,98,880/- (रूपया उन्नीस करोड़ अट्ठान्नवे लाख अट्ठान्नवे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु शासनादेश संख्या-42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा रू0 9266.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 1188.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। शासनादेश संख्या-49/2016/676 छप्पन-2016-2/2013 दिनांक 04 जून, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1336.53 लाख तथा शासनादेश संख्या 29/2017/233 छप्पन-2017-2/2013 दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 2426.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस प्रकार तीन किश्तों में कुल रू0 4950.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई जो परियोजना लागत रू0 9266.19 लाख का 53% मात्र है। अवमुक्त की गई धनराशि का 100% उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा कर लिया गया है।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या शासनादेश संख्या 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022 दिनांक 07 जून, 2022 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(10)(ख)(स) के अन्तर्गत निर्माण कार्य की लागत 10 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में धनराशि को चार किश्तों में अवमुक्त किए जाने का उल्लेख है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगी।

4- प्रश्नगत परियोजना हेतु उपर्युक्त इंगित शासनादेश दिनांक 04 जून, 2015, 04 जुलाई, 2016 तथा 24 मार्च, 2017 द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किश्त के रूप मे कुल रू0 4950.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जो परियोजना की सम्पूर्ण लागत 9266.19 लाख रू0 का 53 प्रतिशत मात्र है। इस प्रकार वित्त (आय-व्ययक) के शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 में दिए गए प्राविधान के अनुसार परियोजना की सम्पूर्ण लागत रू0 9266.19 लाख की 75 प्रतिशत धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 19,98,98,880/- की तृतीय किश्त की देय धनराशि निर्गत की जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 19,98,98,880/- (रूपया उन्नीस करोड़ अट्ठान्नवे लाख अट्ठान्नवे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के साथ व्यय की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022 दिनांक 07 जून, 2022 में विहित नियमों के आलोक में प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति/व्यय किया जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
3. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा | वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।
4. कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
5. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
8. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।
9. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
10. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
12. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।
13. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
15. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-42/201/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 19,98,98,880/- (रूपया उन्नीस करोड़ अट्ठान्नवे लाख अट्ठान्नवे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी**,** चित्रकूट के निवर्तन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" से वहन किया जाएगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
कुँवर भगवती शरण सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या-81/2022/1381(1)/छप्पन-2022, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- महाप्रबन्धक राइट्स लि0 (एयरपोर्ट डिविजन) गुड़गांव, हरियाणा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -7 ।
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कुँवर भगवती शरण सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in